न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
64/2022

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1– हेमकंवर उर्फ संतोष बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आमली कालू सिंह तह0 फुलिया कंला जिला भीलवाडा राज0

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 231 की खसरा नम्बर 121/2077 रकबा 0.82 हे0, खसरा नम्बर 122/2078 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.78 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.97 हे0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। जिसमें वादीनी का नाम संतोष बाई दर्ज है नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादीनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम संतोष बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीनी का वास्तविक नाम हेमकंवर है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादीनी का नाम हेमकंवर है। जिससे वादीनी को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही हे। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीनी का निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 231 की खसरा नम्बर 121/2077 रकबा 0.82 हे0, खसरा नम्बर 122/2078 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.78 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.97 हे0 भूमि में वादीनी का नाम संतोषबाई पुत्री रतन सिंह के स्थान पर संतोषबाई उर्फ हेमकंवर पुत्री रतन सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में संतोषबाई व हेमकंवर एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादीनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार धनराज सिंह पुत्र रतन सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 231 की खसरा नम्बर 121/2077 रकबा 0.82 हे0, खसरा नम्बर 122/2078 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.78 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.97 हे0 भूमि में वादीनी का नाम संतोषबाई के स्थान पर संतोषबाई उर्फ हेमकंवर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)